

**प्रसार भारती**  
**भारतीय प्रसारण निगम**  
**आकाशवाणी केन्द्र शिमला**  
**17.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 15.00बजे**

### **विधानसभा सत्र**

प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण कल 18 मार्च से शुरू होगा जो 2 अप्रैल तक चलेगा। 21 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठनिया ने शिमला में बताया कि 18 मार्च को बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और चर्चा के साथ होगी। उन्होंने बताया कि 18 से 20 मार्च तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और 20 मार्च को मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब देंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण में 13 बैठकें आयोजित होंगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठनिया ने सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने का सत्तापक्ष और विपक्ष से आग्रह किया है। सत्र के दौरान नियम 62 के अंतर्गत 8, नियम 102 के तहत 3 और नियम 130 के तहत 5 विषयों पर सदन में चर्चा होगी।

---

### **जयराम ठाकुर**

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि 18 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है और विपक्ष सदन में जनहित के सभी मुद्दों को उठाएगा। शिमला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, बिगड़ती आर्थिक स्थिति और ठप पड़े विकास कार्य जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर विपक्ष ने नोटिस दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं और वह लगातार सदन को गुमराह कर रही है।

---

### **कैबिनेट रैंक**

राज्य सरकार ने विभिन्न प्राधिकरणों को दिए गए 'कैबिनेट रैंक' के दर्जे को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसमें बोर्ड, निगम और आयोगों के चेयरमैन, वाईस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और प्रधान सलाहकार व राजनीतिक सलाहकार शामिल हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय प्रशासनिक प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के तहत लिया गया है। इस निर्णय के साथ ही इन पदों को दिए गए 'कैबिनेट रैंक' से संबंधित सभी प्रावधान तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के वेतन और मासिक भत्तों का 20 प्रतिशत हिस्सा इस वर्ष 30 सितंबर तक स्थगित रहेगा। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि इस निर्णय को जल्द लागू किया जा सके।

---

### **पीएनजी-आधार प्रमाणीकरण**

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि एल.पी.जी के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण —ई.के.वाई.सी केवल उन ग्राहकों के लिए आवश्यक है जिनका अभी तक प्रमाणीकरण नहीं हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह कोई नया निर्देश नहीं है, बल्कि यह सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिनके अंतर्गत अधिक से अधिक एल.पी.जी उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उन उपभोक्ताओं पर लागू होता है जिन्होंने अभी तक ई.के.वाई.सी नहीं कराया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जिन ग्राहकों ने पहले ई.के.वाई.सी. करा लिया है, उन्हें इसे दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है।

---

### **इंदु गोस्वामी**

राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने बताया है कि केंद्र सरकार ने हमीरपुर—सुजानपुर—थुरल—मरांडा सड़क मार्ग को केंद्रीय सड़क व बुनियादी ढांचा कोष से निर्मित करने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि यह राजमार्ग हमीरपुर और कांगड़ा जिला की जीवन रेखा है और इसके निर्माण से दोनों जिलों के लगभग 5 लाख लोगों को सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। इंदु गोस्वामी ने बताया कि सी.आर.आई.एफ. के तहत इस सड़क के सभी पुल डबल लेन किये जायेंगे और पालमपुर—सुजानपुर—हमीरपुर मार्ग की सभी तंग सड़को को चौड़ा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लगभग दो सौ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।